



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]
No. 33]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 22, 1996/माघ 2, 1917
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 22, 1996/MAGH 2, 1917

कार्मिक, लोक शिक्षण तथा पेशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासन विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1996

सा. का. नि. 4।३३।—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 के उप-धारा 2 के खण्ड ३, ३ड और ३च तथा धारा 36 के खंड ३ग के साथ पठित उप-धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रक्रिया नियमावली, 1987 में और आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. 11 इन नियमों का नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रक्रिया द्वितीय संशोधन नियमावली, 1996 है।

2. ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रक्रिया नियमावली, 1987 के नियम 3 के उप-नियम 11 के द्वितीय परन्तुक के खण्ड 3 में, राजभाषा संघ के सरकारी प्रयोजन के लिए नियमावली, 1976 के नियम 2 के खण्ड 3 में यथापीरभाषित "क्षेत्र 3" में स्थित" शब्द, अंक, अक्षर, कोष्ठक विलोपित हो जाएंगे।

[संख्या आई-42012/3/92-प.अ.-खण्ड-IV]

श्रीमती सरिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

षाद टिप्पणः—मूल नियम दिनांक 6-1-1987 क भारत के राक्षत्र सा. का. नि. सं. 17 ई में प्रकाशित किर गर और तदन्तर निम्नलिखित द्वारा संशोधित किर गर :-

- i सा. का. नि. सं. 1000 ई दिनांक 11-10-88
- ii सा. का. नि. सं. 99 ई दिनांक 26-2-91
- iii सा. का. नि. सं. 557 ई दिनांक 4-9-91
- iv सा. का. नि. सं. 564 ई दिनांक 7-7-1994
- v सा. का. नि. सं. 756 ई दिनांक 18-10-94

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 1996

G.S.R. 41(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with clauses (d), (e) and (f) of Sub-section (2) of Section 35 and clause (c) of Section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Rule 3 of the Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987, in Sub-rule (1), in the second proviso, in clause (3), the words, figures, letters and brackets "located in 'Region (A)' as defined in clause (f) of rule 2 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976" shall be omitted.

[No. I-42012/3/92-AT Vol-IV]

SMT. SARITA PRASAD, Jt. Secy.

Foot Note :—The Principal Rules were published in the Gazette of India vide notification number GSR 17(E) dated 6-1-1987 and subsequently amended vide :—

- (i) No. GSR 1000(E), dated 11-10-1988.
- (ii) No. GSR 99(E), dated 26-2-1991.
- (iii) No. GSR 557(E), dated 4-9-1991.
- (iv) No. GSR 564(E), dated 7-7-1994.
- (v) No. GSR 756(E), dated 18-10-1994.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 69]
No. 69]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 16, 1996/माघ 27, 1917
NEW DELHI, FRIDAY FEBRUARY 16, 1996/MAGHA 27, 1917

कार्मिक, लांक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1996

सा० का० नि० 91 (अ).—दिनांक 22 जनवरी, 1996 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग II—खण्ड-3—उप-खण्ड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक 22 जनवरी, 1996 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 41 (अ) के हिन्दी रूपान्तर के प्रथम पृष्ठ पर :—

नियम 1 (1) में "केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) द्वितीय संशोधन नियमावली, 1996" के स्थान पर "केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियमावली, 1996" पढ़ा जाए ।

[संख्या आई-42012/3/92 प्र० अ० (खण्ड-IV)]
श्रीमती सरिता प्रसाद, संयुक्त सचिव